बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (भागलपुर)–02–39/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–2535/रा0, दिनांक–09.05.2022 से प्रेषित आरोप पत्र में **श्री अशोक कुमार मंडल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त** के विरूद्ध दाखिल खारिज आवेदनों को अनावश्यक रूप से बहुत दिनों तक लंबित रखने, सरकारी दस्तावेजों/अभिलेखों से छेड़–छाड़ संबंधी विडियों वॉयरल होने, जमाबंदी/लगान इन्ट्री में अभिरूचि नहीं लेने, आमलनों का हित सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं यथा– अभियान बसेरा, जल जीवन हरियाली इत्यादि कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने, प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित अभिलेख ससमय उपस्थापित नहीं करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–870(15), दिनांक–28.06.2022 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री मंडल द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–14.09.2022 से विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–1670(15) दिनांक–11.09.2023 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जगदीशपुर, भागलपुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–49/वि0जॉ, दिनांक–03.07.2025 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें इनके विरूद्ध आरोप पत्र में प्रतिवेदित छः आरोपों में सिर्फ एक आरोप (आरोप सं0–03) को आंशिक प्रमाणित बताया गया तथा शेष 05 आरोपों को अप्रमाणित अंकित किया गया है।

5. आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–1673(15) दिनांक–09.09.2025 से श्री मंडल से द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री मंडल का द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक–03.10.2025 विभाग को प्राप्त हुआ।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मंडल का द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को "संचिकास्त" किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार मंडल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त से संबंधित आरोप प्रकरण को **"संचिकास्त"** करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 15/आरोप (भागलपुर)–02–39/2022–......692......(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......26/5/26

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, भागलपुर को उनके पत्रांक–2535/रा0, दिनांक–09.05.2022 के प्रसंग में/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/श्री अशोक कुमार मंडल, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जगदीशपुर, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता–**डी0एस0ए0 ग्राउण्ड रोड, नियर काली मंदिर, नवरतन हाता, पूर्णियाँ, पिन–854301**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/5/26

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Ashok kr mandal (CO jagdishpur_Bhagalpur),_Sanchikast.doc